FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

1.श्री पेमा पिता पन्ना भील निवासी इन्द्रपुरा 2.श्री सुरेश पिता प्रभूलाल भील निवासी इन्द्रपुरा 3. सुमित्रा पुत्री प्रभूलाल भील निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया	बनाम	1. श्री मांगीलाल पिता पन्नालाल भील निवासी पापड़बड़ हाल इन्द्रपुरा 2. श्री कैलाश पिता पन्नालाल भील निवासी पापड़बड़ हाल इन्द्रपुरा 3. श्रीमती बरदी बेवा पन्नालाल भील निवासी पापड़बड़ हाल इन्द्रपुरा त0 बिजौलिया 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बिजौलिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
–अपीलान्ट		–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा– 75राज0भू–राजस्व अधिनियम 1956 **प्रकरण संख्या 32/2017**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2017	प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अपीलान्ट मय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12.09.2017 को पेश हो। जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
12/9/2017	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आइन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 27/9/2017 को पेश हो। आदेश से	
27/9/2017	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आइन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 30/10/2017 को पेश हो। आदेश से	
30/10/2017	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आइन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 13/11/17 को पेश हो। आदेश से	
13-11-2017	वकील अपीलान्ट उपस्थित रेस्पोडेन्ट नं0 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आए अतः इसके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा की जाती है। रेस्पोडेन्ट कैलाश व बरदी के फौत होने की रिपोर्ट	

29/5/2018 — पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित
बहस प्रा०पत्र 0 9 R) पर सुनी गई। वकील प्रार्थी
(अपीलार्थी) के द्वारा निवेदन किया कि (अप्रार्थी)
रेस्पो० सं० 2 व 3 फौत हो चुके हैं जिनका एक
मात्र वारिस रेस्पो० सं० 1 होकर पहले से ही
रिकॉर्ड पर होने से रेस्पोडेन्ट सं० 2 व 3 का नाम
हटाने का आदेश फरमावे। इसी प्रकार प्रार्थी
(रेस्पो०) सं० 1 की ओर से दो तरफा का प्रा०पत्र दि०
16/5/2018 को पेश किया जिसके पक्ष में दो तरफा
किए जाने में वकील अप्रार्थी (अपीलान्ट) को
कोई आपत्ति नहीं है।

हमने कायम मुकाम प्रा०पत्र एवं 0.9 R.)
के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। रेस्पोडेन्ट सं० 2 व 3
फौत हो चुके हैं जिनका विधिक वारिस रेस्पोडेन्ट
सं० 1 पहले से ही रिकॉर्ड पर है ऐसी स्थिति में
रेस्पोडेन्ट सं० 2 व 3 का नाम अपील से हटाये जाने
की स्वीकृति प्रदान की जाती है जैसा कि जमाबन्दी
सम्वत 2056 से 59 से भी यह सिद्ध होता है।
प्रार्थी (रेस्पो० सं० 1) की ओर से दो तरफा किए
जाने में अनापत्ति जाहिर की है अतः रेस्पोडेन्ट
सं० 1 के पक्ष में पुनः दो तरफा किया जाता है।
रेस्पोडेन्ट सं० 1 के द्वारा दि० 18/12/2017 को जवाब
पेश किया। जिस पर अपीलार्थीगण के एवं
दोनों अधिवक्ताओं के भी हस्ताक्षर हैं जिसे
रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

हमने उभयपक्ष की मूल अपील पर
बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलान्ट
ने निवेदन किया कि ग्राम इन्द्रपुरा में

जिला कलक्टर भीलवाड़ा राजस्थान

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

स्थित आरा० नं० 67-71-73 व 88 कुल कीता 4
कुल रकबा 11 बीघा भूमि प्रत्यर्थी सं० 1 से
लगायत 3 के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात
अपीलार्थीगण के पिता पन्ना पिता चतराजी
की खातेदारी की है। पन्नाजी फौत हो चुके
हैं जिनके विधिक वारिस अपीलान्ट सं०
1 से लगायत 3 है। प्रत्यर्थी सं० 1 से 3
पन्ना पिता चतरा भील नि० इन्द्रपुरा के
वारिस नहीं होकर पन्ना पिता पेमा भील
नि० पापड़बड़ के वारिस है। परन्तु श्री
पन्ना पिता चतरा भील नि० इन्द्रपुरा के फौत
होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार
बिजौलिया के द्वारा नामा० सं० 238 प्रत्यर्थीगण
के पक्ष में बिना जाँच किए निर्णीत किया
जो अपास्त योग्य है। इसकी पुष्टि में
ना० सं० 238, चतरा वल्द चमना भील नि०
इन्द्रपुरा के खाते की नकल जमाबन्दी सम्वत्
2039 से 42, चतरा के फौत होने पर विरासत
से प्रत्यर्थीगण के नाम खाता रद्दोबदल हुआ
उस खाते की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2056
से 2059, श्री पन्ना पिता पेमा भील नि०
पापड़बड़ के ना० सं० 115, व चतरा पिता चमना
की मृत्यु के पश्चात पन्ना पिता चतरा के
नाम विरासत के ना० सं० 08 की प्रमाणित
प्रति पेश है। स्वयं रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा भी
अपील में दर्ज आराजीयात स्वयं की नहीं

जिला कलक्टर भीलवाड़ा राजस्थान

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

होना व इनके नाम गलत दर्ज होना जवाब
दि 18/12/2017 में स्वीकार किया है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व अपील मीमो व जवाब दि० 18/12/2017 का अध्ययन किया। अपील में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 42 ग्राम इन्द्रपुरा में आ०न० 67-71-72-73 व 88 कुल कीता 5 कुल रकबा 11-05 बीघा भूमि श्री चतरा वल्द चमना भील के नाम खातेदारी से दर्ज है। श्री चतरा के फौत होने पर विरासत का नां०सं० 108 दि 1-9-85 से खाता पन्नालाल वल्द चतरा भील सा०देह के नाम निर्णित हुआ जिसके आधार पर खाता पन्नालाल पिता चतरा भील के नाम सम्वत् 2056 से 59 की जमाबन्दी में दर्ज है जिसमें आ०न० 67-71-73 व 88 रकबा 11 बीघा भूमि दर्ज है। पन्नालाल पिता चतरा भील के फौत होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया ने नां०सं० 238 दि० 26-11-2001 को निर्णित किया जिसमें विरासत श्री मांगीलाल, कैलाश पिता पन्नालाल मु० बरदी बेवा पन्नालाल भील का नाम दर्ज किया जिसके अनुसार नकल जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 59 में खाता दर्ज हुआ। प्रत्यर्थी मांगीलाल ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया व निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण के पिता पन्ना पिता पेमा होकर ग्राम पापड़वड़

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

के निवासी है। हमारे खातेदारी की भूमि ग्राम पप्पडबड़ में है। ग्राम इन्द्रपुरा में हमारी कोई भूमि नहीं है। हमारे पिता व अपीलार्थीगण के पिता का एक ही नाम (पन्ना) होने व दोनों के फौत होने से अपीलान्टगण की भूमि हमारे नाम गलत दर्ज हो गई है। जो दुरूस्ती योग्य है। इसकी पुष्टि में पन्ना पिता पेमा भील के फौत होने पर विरासत के ना०सं० 114 की प्रति पेश की जिसमें पन्ना की विरासत में मु० बरदी, कवरी बेवा पन्ना, लीला, छीतरी, शांति, मांगू नाबा० बवि० मु० बरदी, कंवरी बेवा पन्ना भील सा० देह के नाम दर्ज है। परन्तु पन्ना पिता चतरा के फौत होने पर इनकी आत्मीयता श्री मांगीलाल, कैलाश पिता पन्ना व बरदी बेवा पन्ना के नाम बिना जाँच किए ही नामान्तकरण निर्णित किया जो अपास्त किया जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के द्वारा निर्णित ना० सं० 238 निर्णय दि० 26-11-2001 को निरस्त किया जाता है एवं ग्राम इन्द्रपुरा की आ० न० 67-71-73 व 88 कुल कीता 4 कुल रकबा 11 बीघा भूमि को मृतक पन्नालाल पिता चतरा भील की विरासत के सम्बन्ध

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

वारिसान की जाँच कर अजसरे नव निर्णय पारित किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया को रिमाण्ड किया जाता है। आदेश तैयार कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा